दिनांक 17.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 17/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादारी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 बुलेट मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.11.2022 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डाढा गोलचक्कर के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 बुलेट मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष निवासी उठा साहनी थाना टप्पल जनपद अलीगढ।

बरामदगी

1— 01 बुलेट मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद प्रयागराज/थाना फाफामऊ

06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण**
- **लूट के 07 हजार रूपये नगद**
- **01 प्रिन्टर कैनन**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 कार, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)**
- **चोरी का 01 गैस सिलेण्डर**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 17.11.2022 को थाना फाफामऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेला कछार रोड गंगानगर से 06 अभियुक्तों 1–सचिन 2–सुशील 3–शिवा उर्फ तरूण कुमार 4–अनुपम 5–हर्ष 6–देवेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 07 हजार रूपये नगद, लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, 01 प्रिन्टर कैनन, 02 मोबाइल फोन, 01 कार, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), चोरी का 01 गैस सिलेण्डर, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 09.11.2022 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फाफामऊ पर मु0अ0सं0–368/2022 धारा 395 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फाफामऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी अंगुरिहन पूरव नारा थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज।

2–सुशील निवासी ग्राम गौरा थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

3–शिवा उर्फ तरूण कुमार निवासी ग्राम फैटवा गौसपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती।

4–अनुपम निवासी ग्राम कठैडा थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

5–हर्ष निवासी ग्राम सराय थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

6–देवेन्द्र कुमार निवासी ग्राम अंगुरिहन थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 07 हजार रूपये नगद।

2–लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण।

3–01 प्रिन्टर कैनन।

4–02 मोबाइल फोन।

5–01 कार, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

5–चोरी का 01 गैस सिलेण्डर।

6–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित कारतूस आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 02 लाख रूपये कीमत के 13 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 16/17.11.2022 की रात्रि थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटसलिया फाटक पुल से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–शिवम 2–सूरज 3–निखिल उर्फ बुच्ची 4–फिरोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 02 लाख रूपये कीमत के 13 मोबाइल फोन, 02

अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 15.11.2022 को थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सूरज के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शिवम निवासी गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाहजहॉपुर।

2—सूरज निवासी मोहल्ला सरायकाईया थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाहजहॉपुर।

3—निखिल उर्फ बुच्ची निवासी मोहल्ला सरायकाईया थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाहजहॉपुर।

4—फिरोज निवासी गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्रमिशन जनपद शाहजहॉपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के लगभग 02 लाख रूपये कीमत के 13 मोबाइल फोन।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस ।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 08 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त गैस कटर, 02 गैस सिलेण्डर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 16.11.2022 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अग्रवाल राइस मील के पास गंजडुंडवारा रोड पर पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–मानपाल 2–वीरेश 3–देवेंद्र को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 08 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त गैस कटर, 02 गैस सिलेण्डर, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01/02.11.2022 की रात्रि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा एटीएम मशीन काटकर एटीएम से रूपये चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0–826/2022 धारा 457/380/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त देवेंद के विरूद्ध जनपद एटा, कासगंज के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त वीरेश के विरूद्ध

जनपद अलीगढ़, मथुरा, एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त मानपाल के विरूद्ध

जनपद अलीगढ़, एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मानपाल निवासी मोहल्ला भूतेश्वर बिलराम गेट थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज।

2—वीरेश निवासी खेड़ा खडौआ थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

3—देवेंद्र निवासी मोहल्ला योग मार्ग थाना सोरों जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—चोरी के 08 लाख रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त गैस कटर, 02 गैस सिलेण्डर।

3—घटना में प्रयुक्त 01 कार।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 03 खोखा कारतूस आदि ।

जनपद चन्दौली/थाना कोतवाली चन्दौली

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 46 लाख रूपये कीमत के 462 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **3800/—रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 16.11.2022 की रात्रि थाना कोतवाली चन्दौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवही पुलिया के पास से मादक पदार्थ तस्कर श्याम कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से

लगभग 46 लाख रूपये कीमत के 462 ग्राम अवैध हेरोइन, 3800/—रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—श्याम कुमार निवासी ग्राम जैतपुरा थाना नुआव जनपद जनपद कैमूर, बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 46 लाख रूपये कीमत के 462 ग्राम अवैध हेरोइन।

2—3800/—रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन।

4—01 मोटर साइकिल ।

जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 88 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनॉकः 16.11.2022 की रात्रि थाना पीपरपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्गापुर बाजार में कोल्ड स्टोरेज के सामने चेकिंग के दौरान अभियुक्त विपिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 88 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विपिन निवासी घोसवा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1—लगभग 16 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 88 किलोग्राम अवैध गांजा ।

2—घटना में प्रयुक्त ट्रक।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार, 6.400 किलोग्राम चरस बरामद।

दिनांक 16–11–2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को दिल्ली व पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6.400 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– नन्दलाल पुत्र स्व0 रामबली नि0 महदेव थाना वाल्टरगंज, जनपद बस्ती।

बरामदगीः–

1– 6.400 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (चरस)

2– 01 अदद मोबाइल फोन

3– रू0–1500/–नगद

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 16–11–2022 रात्रि 21:30 बजे कैसरबाग बस अड्डे के पास, कोतवाली वजीरगंज, जनपद लखनऊ।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नेपाल से मादक पदार्थ की तस्करी कर दिल्ली एवं पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में लाकर बेचा जा रहा है। इस गिरोह का एक सदस्य कैसरबाग, लखनऊ बस अड्डे के पास के पास मौजूद है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त नंदलाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि अवैध मादक पदार्थ (चरस) नेपाल–बढ़नी बार्डर से खुषनू भाई नाम के व्यक्ति से खरीदकर लाता है तथा शामली बस स्टैण्ड पर हक्कल भाई को देता है। जो इस चरस को दिल्ली व पष्चिमी उ0प्र0 के अन्य जनपदों में सप्लाई करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 328/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, 500 ग्राम हेरोइन बरामद।

दिनांक 16–11–2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1– मो0 राज पुत्र मो0 फुरकान नि0 टिकरा मुर्तजा, टिकरा नवाबगंज, बाराबंकी।

2– मो0 शफीक पुत्र अब्दुल सकूर नि0 बरैया सोहिलपुर, बाराबंकी।

बरामदगीः-

1– 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (हेरोइन)

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– रू0–3,190/–नगद

4– 01 अदद मोटरसाइकिल नं0 यूपी 32 इजेड 7115

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

बैकुण्ठ धाम थाना क्षेत्र हजरतगंज लखनऊ दिनांक 16–11–2022 रात्रि 11.15 बजे

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके

अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद मेरठ से मादक पदार्थो की तस्करी कर जनपद बाराबंकी में बेचा जा रहा है। इस गिरोह के 02 सदस्य जनपद मेरठ से हेरोइन लेकर बाराबंकी जाने वाले है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री दिलीप तिवारी के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 राज ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पिताजी जंगली उर्फ हसीन निवासी बरौली थाना जैदपुर के लिए अवैध मादक पदार्थ तस्करी का काम करते थे। इस बार जंगली उर्फ हसीन से शफीक ने एडवांस पैसा लेकर मुझे मेरठ भेजा था। वहॉ से हेरोइन लेकर लखनऊ में 1090 चौराहे के पास शफीक को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध एनसीबी लखनऊ द्वारा केस संख्या 28/2022 धारा 60 (3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही एनसीबी द्वारा की जायेगी।

———